राजस्थान लोक सेवा आयोग

<u>प्रेस–नोट</u> **दिनांक 04.06.2025**

आयोग द्वारा उपाचार्य/अधीक्षक I.T.I (Vice Principal/ Superintendent I.T.I), कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा के पदों की भर्ती 2024 हेतु विज्ञापन सं. 5/परीक्षा/V.P./Superintendent I.T.I)/प्रा.शि.वि./RPSC/EP-I/2024–25 दिनांक 01.07.2024 जारी कर दिनांक 10.07.2024 से दिनांक 08.08.2024 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। उक्त पदों हेतु वांछित अनिवार्य योग्यता निम्नानुसार है –

"(a) Second Class degree in Civil/Mechanical/Electrical/Information Technology/ Computer Science/Electronics and Communication Engineering of equivalent qualifications.

(b) One year professional experience."

उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की रेण्डम/सेम्पल जांच की गई। उक्त जांच में पाया गया कि कतिपय आवेदकों के पास अनिवार्य योग्यता नहीं होने के उपरान्त भी उनके द्वारा आवेदन किया गया है। ऐसा किये जाने पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से विवर्जित (Debar) कर दिया जाएगा एवं उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 217 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अतः ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव नहीं रखते हैं और उन्होंने उक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उनको आगाह किया जाता है कि वे अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2025 तक प्रत्याहारित (Withdraw) कर लेवें। इस हेतु ऑनलाईन Withdraw करने के लिए दिनांक 05.06.2025 से 09.06.2025 तक Link सक्रिय रहेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वरिष्ठ उप सचिव